



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936

No. 180]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 248(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धाराएं 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85 और 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 या इन नियमों में समाविष्ट विषयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विहित किसी अन्य सुसंगत नियम का अधिक्रमण उन बातों के सिवाय करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 है।
- (2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं –

- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
 - (ख) “उपाबंध” से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है;
 - (ग) “फीस” से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विहित फीस अभिप्रेत है;
 - (घ) “प्ररूप” या “ई-प्ररूप” से इन नियमों के उपाबंध में दिया प्ररूप अभिप्रेत है जिसका प्रयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा;

(ड) “प्रादेशिक निदेशक” से केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या नियमों में उनके हैं।

3. **प्रभार के सृजन या उपांतरण का रजिस्ट्रीकरण** - (1) धारा 77 की उप-धारा (1), धारा 78 और धारा 79 के उपबंध के अनुसार प्रभार के रजिस्ट्रीकरण के लिए, प्रभार की विशिष्टियाँ और लिखत की प्रति सहित, यदि कोई हो, जिसमें यथास्थिति **प्ररूप संख्या सीएचजी.1** (डिबेंचरों को छोड़कर) या **प्ररूप संख्या सीएचजी.9** (डिबेंचरों के लिए) में प्रभार के सृजन या उपांतरण है, कंपनी तथा प्रभार धारक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर की गई हो और प्रभार के सृजन या उपांतरण की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फीस सहित फाइल की जाएगी।

(2) यदि उपरोक्त अवधि में किसी प्रभार की विशिष्टियाँ नहीं की जाती हैं किंतु ऐसे सृजन या उपांतरण की तारीख से तीन सौ दिन की अवधि के भीतर की जाती हैं तो अतिरिक्त फीस उद्धृत की जाएगी।

(3) यदि कोई कंपनी सृजन या उपांतरण के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को प्रभार की विशिष्टियाँ फाइल नहीं करती है, तो प्रभारों की विशिष्टियाँ और प्रभारधारक द्वारा फाइल की गई सृजित या उपांतरित करने वाली लिखत, यदि कोई हो, की प्रति सम्यक रूप से हस्ताक्षरित **प्ररूप संख्या सीएचजी.1** या **प्ररूप संख्या सीएचजी.9**, में फीस सहित फाइल की जा सकेगी।

(4) किसी प्रभार के सृजन या उपांतरण को प्रमाणित करने वाली और धारा 77, 78 या 79 के अनुसरण में रजिस्ट्रार के पास फाइल करने हेतु अपेक्षित प्रत्येक लिखत की प्रति निम्नानुसार सत्यापित की जाएगी-

(क) यदि लिखत या विलेख केवल भारत के बाहर स्थित संपत्ति के लिए ही है तो प्रति कंपनी की मुहर द्वारा या कंपनी के किसी निदेशक या कंपनी सचिव या प्रभारधारक के किसी प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा या कंपनी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति, जो बंधक या प्रभार में हितबद्ध हो, के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण-पत्र द्वारा सत्यापित की जाएगी;

(ख) यदि लिखत या विलेख पूर्णतः या भागतः भारत में स्थित संपत्ति से संबंधित है तो प्रति का सत्यापन कंपनी के किसी निदेशक या कंपनी सचिव या प्रभारधारक के किसी प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण-पत्र द्वारा किया जाएगा।

4. **रजिस्ट्रार द्वारा विलंब के लिए माफी देना** - (1) रजिस्ट्रार यह समाधान होने पर कि कंपनी के पास प्रभार की विशिष्टियाँ तथा लिखत, यदि कोई हो, प्रभार सृजन की तारीख से 30 दिन की भीतर फाइल न करने के पर्याप्त कारण हैं, तो वह अतिरिक्त फीस का भुगतान करने पर तीस दिन के पश्चात् किंतु प्रभार के सृजन या प्रभार के उपांतरण की तारीख से तीन सौ दिन की अवधि के भीतर उक्त के पंजीकरण की अनुमति दे सकेगा।

(2) विलंब के लिए आवेदन **प्ररूप संख्या सीएचजी.1** में दिया जाएगा और समर्थन में कंपनी के सचिव या निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा होगी कि इस प्रकार से विलंब से फाइल करने से कंपनी के किसी अन्य मध्यवर्ती लेनदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. **कतिपय मामलों में नियमों का लागू होना** - (1) नियम 4 के उपबंध अधिनियम की धारा 79 के अधीन ऐसे प्रभारों तथा प्रभारों के उपांतरण के अधीन अर्जित किसी संपत्ति पर प्रभार के रजिस्ट्रीकरण पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

6. **रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र** – (1) यदि धारा 77 की उप-धारा (1) या धारा 78 के अधीन रजिस्ट्रार के पास प्रभार रजिस्ट्रीकृत किया जाता है तो वह प्ररूप संख्या **सीएचजी.2** में ऐसे प्रभार के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(2) यदि धारा 79 के अधीन प्रभार उपांतरण की विशिष्टियां रजिस्ट्रीकृत की जाती हैं तो रजिस्ट्रार प्ररूप संख्या **सीएचजी.3** में प्रभार उपांतरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) उप नियम (1) और उप नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अंतिम साक्ष्य होगा कि अधिनियम के अध्याय VI और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का यथास्थिति प्रभार के सृजन या उपांतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अनुपालन किया गया है।

7. **रजिस्ट्रार द्वारा प्रभार रजिस्टर रखा जाना** – (1) अधिनियम की धारा 81 के प्रयोजनार्थ कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल (www.mca.gov.in/MCA21) पर रखे जा रहे प्रभारों की विशिष्टियां प्रभार रजिस्टर माने जाएंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति फीस का भुगतान करके इस रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है।

8. **प्रभारों की तुष्टि** – (1) कोई कंपनी अध्याय VI में रजिस्ट्रीकृत किसी प्रभार के पूर्ण भुगतान या तुष्टि की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फीस सहित प्ररूप संख्या **सीएचजी.4** में सूचना देगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार धारा 82 या 83 के अनुसरण में पूर्ण प्रभार तुष्टि के ज्ञापन को दर्ज करता है तो वह प्ररूप संख्या **सीएचजी.5** में प्रभार तुष्टि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

9. **रिसीवर या प्रबंधक की नियुक्ति की सूचना** – किसी कंपनी की संपत्ति, जो प्रभार के अधीन है, के रिसीवर या प्रबंध करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति या पद समाप्ति की सूचना रजिस्ट्रार को फीस सहित प्ररूप संख्या **सीएचजी.6** में फाइल की जाएगी।

10. **कंपनी का प्रभार रजिस्टर-** (1) प्रत्येक कंपनी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में प्ररूप संख्या **सीएचजी. 7** में प्रभारों का एक रजिस्टर रखेगी और उसमें कंपनी को किसी संपत्ति, आस्तियों या उपक्रम के संबंध में रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत सभी प्रभारों की विशिष्टियां और प्रभार के अधीन अर्जित किसी संपत्ति की विशिष्टियों के साथ-साथ प्रभार के किसी उपांतरण तथा प्रभार की तुष्टि की विशिष्टियां दर्ज की जाएंगी।

(2) कंपनी द्वारा रखे जा रहे प्रभारों के रजिस्टर में प्रविष्टियां प्रभार के, यथास्थिति, सृजन, उपांतरण अथवा तुष्टि के पश्चात् तुरंत की जाएगी।

(3) रजिस्टर में प्रविष्टियां कंपनी के किसी निदेशक या सचिव या बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी।

(4) प्रभारों का रजिस्टर स्थायी रूप से रखा जाएगा और प्रभार के सृजन व उसके उपांतरण संबंधी लिखत को कंपनी द्वारा प्रभार तुष्टि की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

11. **निरीक्षण हेतु उपलब्ध रजिस्टर** - कंपनी द्वारा रखे जा रहे प्रभारों का रजिस्टर तथा प्रभार लिखत निम्नलिखित द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा-

(क) कंपनी के किसी सदस्य या लेनदार द्वारा फीस के बिना;

(ख) फीस का भुगतान करने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

12. **विलंब में माफी और प्रभार रजिस्टर में परिशुद्धि** – (1) यदि प्रभार के सृजन या उपांतरण संबंधी लिखत इसके सृजन (प्रभार के अधीन किसी संपत्ति के अर्जन सहित) अथवा उपांतरण की तारीख से तीन सौ दिन के भीतर फाइल नहीं की जाती है तथा यदि प्रभार तुष्टि, ऐसी तुष्टि के भुगतान की तारीख के तीस दिन के भीतर फाइल नहीं की जाती है

तो रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक इस विलंब को केंद्रीय सरकार द्वारा माफ न कर दिया जाए।

(2) विलंब के लिए माफी तथा अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के खंड (i) के उप-खंड (क), (ख) और (ग) में समाविष्ट ऐसे अन्य मामलों के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार को फीस के साथ प्ररूप संख्या सीएचजी.8 में फाइल किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश रजिस्ट्रार को उक्त आदेश में अनुबद्ध शर्तों के अनुसार फीस सहित प्ररूप संख्या आईएनसी.28 में फाइल किया जाना अपेक्षित होगा।

<p>प्रपत्र सं. सीएचजी.1 [धारा 384 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77, 78 और 79 तथा कंपनी (प्रभारों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसरण में]</p>	 सत्यमेव जयते	<p>वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्गठन का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफईएसआई) के अनुरूप परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा प्रभार के संशोधन के ब्यौरों सहित प्रभार का सृजन, संशोधन अथवा परिशोधन (डिबेंचरों से संबंधित को छोड़कर) के पंजीकरण हेतु प्ररूप</p>
---	---	---

प्रपत्र की भाषाअंग्रेजीहिंदी

प्रपत्र दाखिल करने के लिए निर्देशों का संदर्भ लें

- (क)* कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन).....(पूर्व पूरित)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....
- (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता

.....

(ग) कंपनी का ई-मेल पता.....
- (क) *यह आवेदन पंजीकरण के लिए है
*प्रभार सृजन *प्रभार संशोधन *प्रभार परिशोधन
(ख) आवेदन की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) जिसके लिए परिशोधन दायर किया जा रहा है.....
(ग) संशोधन या परिशोधन किए जाने वाले प्रभार की प्रभार आई-डी

(घ) आईएनसी 28 आवेदन का एसआरएन.....

(ङ) परिशोधन किए जाने के संबंध में
*प्रभार का प्रकार *प्रभारियों की संख्या *प्रभारी के ब्यौरे
*प्रभारी द्वारा सुरक्षित राशि *प्रभार के ब्यौरे *सम्पत्ति पर वर्तमान प्रभार
*संपत्ति/परिसंपत्ति के ब्यौरे *संपत्ति के पंजीकृत व्यक्ति का विवरण
- *आवेदक क्या है *कंपनी *प्रभारी

5. क्या आवेदन भरा रहा है
- (i) *सृजन या संशोधन की तारीख के 30 दिन के बाद लेकिन 300 दिन के भीतर *हां *नहीं
- (ii) यदि हां, तो देरी के कारण और देरी की अवधि बताएं.....
- (ii) 300 दिन से अधिक *हां *नहीं
(यदि हां, तो समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने की आवश्यकता होगी)
6. (क) क्या प्रभार में संशोधन परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) या प्रतिनिधि के पक्ष में है
* हां * नहीं
- (ख) क्या प्रभारी प्रभार समझौते के अनुसार प्रभार निर्धारण के लिए प्राधिकृत है *हां *नहीं
7. (क)* साधन सृजन अथवा प्रभार संशोधन की तारीख.....
- (ख)*साधन सृजन अथवा प्रभार संशोधन की प्रकृति, विवरण और संक्षिप्त ब्यौरे.....
- (ग) क्या प्रभार सृजन या संशोधन भारत से बाहर हुआ है *हां *नहीं
8. प्रभार का प्रकार
- * (क) प्रभार
-अनपेक्षित शेयर पूंजीमांगी गई किंतु प्रदान नहीं की गईअचल परिसंपत्ति
अथवा उस पर कोई ब्याज
-चल संपत्ति (गिरवी नहीं रखी जाने वाली)चल प्रभारमोटर वाहन
(हाइपोथिकेशन)
-सुरक्षित जमा राशि प्राप्त करने के लिए कोई संपत्तिसाखपेटेंट
-पेटेंट के तहत लाइसेंसट्रेड मार्ककॉपीराइट
-ऋण बहीजहाज या जहाज में हिस्सेदारीभारत से बाहर स्थित संपत्ति
-अन्य
- (ख) अन्य कोई है, तो विवरण
.....
9. (क)*क्या कंसोर्टियम वित्त अपेक्षित है *हां *नहीं
अगर हां, तो मुख्य बैंकर का नाम दर्ज करें.....
- (ख)*क्या सम्मिलित प्रभार अपेक्षित है *हां *नहीं
- (ग)*प्रभारी/प्रभारियों की संख्या.....
10. प्रभारी के ब्यौरे (अगर प्रभार एआरसी या हस्तांतरिती के पक्ष में है, तो एआरसी या हस्तांतरिती के ब्यौरे दें) श्रेणी.....
अन्यों के मामले में उल्लेख करें.....
(प्रभारियों की सूची प्राप्त करें)
नाम.....
अन्यों के मामले में उल्लेख करें..... (पूर्व पूरित)
सीआईएन, यदि लागू होता है, तो.....

नाम

पता पंक्ति 1

पंक्ति 2

शहर

राज्यआईएसओ देश का कोड

देश

पिन कोड

ई-मेल आई डी

11. (क)*प्रभार द्वारा सुरक्षित राशि (रूप में)
- (अगर राशि विदेशी मुद्रा में हो तो, समकक्ष रूप का उल्लेख करें)
- (अगर प्रभार संशोधन/परिशोधन हो तो ऐसे संशोधन के बाद प्रभार द्वारा सुरक्षित राशि लिखें)
- (ख) प्रभार द्वारा सुरक्षित राशि शब्दों में
- (ग)अगर प्रभार द्वारा सुरक्षित राशि विदेशी मुद्रा में है तो विवरण दे
12. प्रभार के मुख्य नियमों और शर्तों, विस्तार और कार्य प्रणाली के संक्षिप्त ब्यौरे
- (क) *ब्याज की दर
- (ख) *कर्ज अदायगी की शर्तें
- (ग) *अतिरिक्त
- (घ) *प्रभार विस्तार और कार्य प्रणाली
- (ङ) अन्य
13. संपत्ति अधिग्रहण के मामले में इस तरह अधिग्रहित संपत्ति पर वर्तमान प्रभारों से संबंधित ब्यौरे दें :
- (क) विलेख सृजन अथवा प्रभार स्पष्टीकरण की तारीख
- (ख) विलेख सृजन अथवा प्रभार स्पष्टीकरण का विवरण
- (ग) संपत्ति अधिग्रहण की तिथि
- (घ) प्रभार की राशि (रु. में)
- (ङ) प्रभारित संपत्ति के ब्यौरे
14. प्रभारित संपत्ति या परिसंपत्तियों के संक्षिप्त ब्यौरे (संपत्ति के पूरे पते और जगह सहित)

(i)

- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)
- (vii)
- (viii)
- (ix)
- (x)

15. (क)*क्या कंपनी के अंतर्गत कोई संपत्ति या हिस्सा कंपनी के नाम में पंजीकृत नहीं है ..हां
..नहीं

(ख) अगर, हां तो, इस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से यह पंजीकृत है

16. वर्तमान संशोधन से पहले सृजित/अंतिम संशोधन की तारीख

17. वर्तमान संशोधन के ब्यौरे (यह सुनिश्चित करें कि सही ब्यौरे ही दिये गए हैं क्योंकि ये ही प्रभार संशोधन के प्रमाण पत्र में दिखाए जाएंगे)

संलग्नक

- (1) विलेख सृजन या प्रभार संशोधन
- (2) संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में प्रभार सृजन अथवा संशोधन को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जो पहले से ही इस तरह के अधिग्रहणों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों के साथ प्रभार योग्य हैं।
- (3) सभी संयुक्त प्रभारियों के ब्यौरे
- (4) प्रभार के परिशोधन के लिए केन्द्र सरकार का आदेश
- (5) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो तो

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प संख्या तारीख द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं तथा यह घोषित करता हूं कि इस प्रपत्र या इससे संबद्ध मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सभी सूचना इस प्रपत्र के संलग्नकों समेत सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपत्र से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है। संलग्न विलेख/विलेखों अथवा

दस्तावेज/दस्तावेजों की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थल पर उपलब्ध है।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि :

- (क) सृजन/संशोधन के व्यौरे भरने में देरी आकस्मिक अथवा लापरवाही के कारण अथवा किसी अन्य उपर्युक्त कारण से हुई है और कंपनी के प्रभारी, हिस्सेदारों और ऋणदाताओं की स्थिति के प्रभाव के कारण नहीं हैं।
- (ख) अगर देरी को माफ किया जाता है तो कंपनी में किसी तरह का पक्षपात प्रभारी/प्रभारियों या अन्य किसी ऋणदाताओं के लिए कारण नहीं बनेगा
- (ग) कंपनी ने कंपनी की परिसंपत्तियों पर वर्तमान प्रभार के सृजन/संशोधन में अभी तक कोई अन्य प्रभार/प्रभारों का सृजन या संशोधन नहीं किया है जिसके लिए देरी माफ करने के लिए आवेदन किया जा रहा है।
- (घ) यह आवेदन करने की तारीख को कंपनी का व्यवसाय कार्य जारी है और कंपनी को बंद करने की कोई कार्यवाही कंपनी के विरुद्ध प्रारंभ या विचाराधीन नहीं हैं।
- (ङ) किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है जिसके लिए देरी के लिए क्षमायाचना दायर की जा रही है।
- (च) कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार से कंपनी का नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

निदेशक या प्रबंधक या सचिव या सीईओ या सीएफओ (भारतीय कंपनी के मामले में) (**डीएससी बॉक्स**)
अथवा एक प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी के मामले में)

पदनाम.....

निदेशक का डीआईएन; प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन या पैन; अथवा
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या.....

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि संलग्न प्रभार विलेख या दस्तावेज मूल की सही प्रति हैं जो प्रभारी या हस्तांतरित के पास उपलब्ध है और वहां से ली गई उपर्युक्त सभी सूचनाएं और विवरण संक्षिप्त और सही हैं। मैं/हम इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हैं।

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

(डीएससी बॉक्स)

प्रभारी द्वारा

प्रभारी का पैन.....

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

डीएससी बॉक्स

एआरसी और हस्तांतरित

एआरसी या हस्तांतरित का पैन.....

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

डीएससी बॉक्स

पदनाम.....

पैन.....

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, 448 और 449 के प्रावधानों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश धोखाधड़ी के लिए सजा, गलत विवरण के लिए सजा और गलत साक्ष्यों के लिए सजा का प्रावधान है।

संशोधित फार्म चैक करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत

सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए:(दायर करने संबंधी विवरण संबद्ध करें)

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन).....ई-फॉर्म जमा करने की तारीख(दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर

एतद्वारा यह ई-प्रपत्र पंजीकृत है.....

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

अथवा

यह ई-प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए तथा दायर करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण की सत्यता के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा फाइल में रख दिया गया है।

प्रपत्र संख्या सीएचजी-2

प्रभार पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

(धारा 77(1) और 78 के अनुसरण में)

कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा कंपनी की विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या

कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या

कंपनी का नाम:

प्रभार पहचान संख्या:

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक..... दिन20..... को उपर्युक्त कंपनी/.....द्वारा सृजित उपर्युक्त प्रभार कंपनी की तरफ से..... के पक्ष में..... रूप की राशि की प्राप्ति के लिए पंजीकरण किए गए हैं और उपर्युक्त अधिनियम के अध्याय VI के निहित प्रावधानों के अनुसार प्रभार रजिस्टर में उपर्युक्त प्रभार पहचान संख्या निर्धारित की गई है

मेरे हस्ताक्षर और मुहर द्वारा..... (स्थान) पर, यह.....दिन.....20..... को किया गया है।

कंपनी रजिस्ट्रार

.....

<p>प्रपत्र संख्या सीएचजी-3</p> <p>प्रभार संशोधन पंजीकरण का प्रमाण-पत्र</p> <p>[धारा 79(ख) अनुसरण में]</p>
<p>कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा कंपनी की विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या कंपनी का नाम: प्रभार पहचान संख्या:</p>
<p>यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय VI के अनुसरण, में उपर्युक्त प्रभार दिनांक..... दिन20..... को..... पक्ष में..... रूप की राशि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया गया है:</p>
<p>संशोधन के संक्षिप्त ब्यौरे: (प्रभार के संशोधन के लिए दायर</p> <p style="text-align: right;">प्रपत्र संख्या 6.1 में दिए अनुसार है)</p>
<p>और उपर्युक्त संशोधन पंजीकृत किया गया है और उपर्युक्त अधिनियम के अध्याय VI के निहित प्रावधानों के अनुसार प्रभार रजिस्टर में उपर्युक्त प्रभार पहचान संख्या प्रदान की गई है</p>
<p>मेरे हस्ताक्षर और मुहर द्वारा..... (स्थान) पर, यह.....दिन.....20..... को किया गया है।</p> <p style="text-align: right;">कंपनी रजिस्ट्रार </p>

<p>प्रपत्र सं. सीएचजी.4 [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 82 तथा कंपनी (प्रभारों का पंजीकरण) नियम 2014 के नियम 3(3) के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>प्रभार अदायगी अथवा उसके परिशोधन की संतुष्ट के ब्यौरे</p>
---	---	--

प्रपत्र की भाषाअंग्रेजीहिंदी

प्रपत्र दाखिल करने के लिए निर्देशों का संदर्भ लें

1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा कंपनी का विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या (एफसीआरएन).....(पूर्व पूरित)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....
2. (क) कंपनी का नाम
- (ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थल का पता
.....
.....

(ग) कंपनी का ई-मेल पता.....

3. * (क) यह प्रपत्र पंजीकरण के लिए है *प्रभार की अदायगी *प्रभार परिशोधन

4. (क) (i) *क्या प्रपत्र 30 दिन के बाद भरा जा रहा हैहां..... नहीं
यदि हां, तो देरी के कारण और देरी की अवधि बताएं.....

(ii) *आवेदक कौन है *कंपनी *प्रभारी

(ख) *प्रभार अदायगी के लिए प्रपत्र सीएचजी. 4 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....

(ग) *आईएनसी 28 प्रपत्र का एसआरएन.....

5. क्या प्रभार अदायगी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) या प्रतिनिधि के पक्ष में है

* हां * नहीं

*प्रभार सृजन पहचान सं..... (पूर्व पूरित)

6. (क) प्रभारी अथवा एआरसी अथवा हस्तांतरिती के ब्यौरे.....(प्रभारियों की सूची प्राप्त करे)

* प्रभारी का नाम.....

अन्यों के मामले में उल्लेख करें.....

सीआईएन, अगर लागू है तो..... (पूर्व पूरित)

नाम.....

पता.....

ई-मेल आई डी.....

(ख) मूल प्रभार के सृजन तथा तदंतर संशोधनों के ब्यौरे.....

(i) प्रभार सृजन की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

(ii) प्रभार के अंतिम संशोधन की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

(iii) *प्राप्त अंतिम राशि (अगर राशि विदेशी मुद्रा में है तो रू. के समतुल्य राशि लिखें).....

(iv) प्रभार द्वारा प्राप्त राशि शब्दों में

(v) अगर प्रभार द्वारा सुरक्षित राशि विदेशी मुद्रा में है, तो ब्यौरे दे.....

7.* पूर्ण प्रभार की संतुष्टि की तारीख.....

संलग्नक

- (1) प्रभारी का पत्र, जिसमें राशि प्राप्त होना उल्लिखित हो;
- (2) केन्द्र सरकार का आदेश;
- (3) वैकल्पिक संलग्नक;

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प संख्या.....तारीख.....द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ तथा यह घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र या इससे संबद्ध मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सभी सूचना इस प्रपत्र के संलग्नकों समेत सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपत्र से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि:

- (1) सृजन/संशोधन के ब्यौरे भरने में देरी आकस्मिक अथवा लापरवाही के कारण अथवा किसी अन्य उपर्युक्त कारण से हुई है और कंपनी के प्रभारी, हिस्सेदारों और ऋणदाताओं की स्थिति के प्रभाव के कारण नहीं हैं।
- (2) अगर देरी को माफ किया जाता है तो कंपनी में किसी तरह का पक्षपात प्रभारी/प्रभारियों या अन्य किसी ऋणदाताओं के लिए कारण नहीं बनेगा ।
- (3) कंपनी ने कंपनी की परिसंपत्तियों पर वर्तमान प्रभार के सृजन/संशोधन में अभी तक कोई अन्य प्रभार/प्रभारों का सृजन या संशोधन नहीं किया है जिसके लिए देरी माफ करने के लिए आवेदन किया जा रहा है।
- (4) यह आवेदन करने की तारीख को कंपनी का व्यवसाय कार्य जारी है और कंपनी को बंद करने की कोई कार्यवाही कंपनी के विरुद्ध प्रारंभ या विचाराधीन नहीं हैं।
- (5) किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है जिसके लिए देरी संबंधी क्षमायाचना दायर की जा रही है।
- (6) कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाए (डीएससी बॉक्स)

निदेशक या प्रबंधक या सचिव या सीईओ या सीएफओ (भारतीय कंपनी के मामले में) अथवा एक प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी के मामले में)

पदनाम.....

निदेशक का डीआईएन; प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या.....

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि संलग्न प्रभार विलेख या दस्तावेज मूल की सही प्रति हैं जो प्रभारी या हस्तांतरित के पास उपलब्ध है और वहां से ली गई उपर्युक्त सभी सूचनाएं और विवरण संक्षिप्त और सही हैं। मैं/हम इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हैं।

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं**डीएससी बॉक्स**

प्रभारी द्वारा (वित्तीय संस्था या बैंक या डिबेंचरधारी आदि)

पैन.....

ई-मेल पता.....

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं**डीएससी बॉक्स**

एआरसी अथवा हस्तांतरित

पैन.....

ई-मेल पता.....

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं**डीएससी बॉक्स**

पैन.....

पदनाम.....

ई-मेल पता.....

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, 448 और 449 के प्रावधानों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश धोखाधड़ी के लिए सजा, गलत विवरण के लिए सजा और गलत साक्ष्यों के लिए सजा का प्रावधान है।

संशोधित

फार्म चैक करें

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत

.....
सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए:

.....(दायर करने संबंधी विवरण संबद्ध करें)

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन).....ई-फॉर्म जमा करने की तारीख
.....(दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

एतद्वारा यह ई-प्रपत्र पंजीकृत किया जाता है.....

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

अथवा

यह ई-प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए तथा दायर करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण की सत्यता के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा फाइल में दर्ज कर दिया गया है।

प्रपत्र संख्या सीएचजी-5**प्रभार अदागी का ज्ञापन**

(क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा कंपनी की विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

2. (क) कंपनी का नाम:

(ख) प्रभार पहचान संख्या:

यह प्रमाणित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसरण में..... रु. के उपर्युक्त प्रभार की..... दिनांकदिन.....20..... को उपर्युक्त अधिनियम के अध्याय VI में निमित्त प्रावधानों के अनुसार पूर्ण अदायगी की जा चुकी है।

मेरे हस्ताक्षर और मुहर द्वारा..... (स्थान) पर, यह.....दिन.....20..... को किया गया है।

कंपनी रजिस्ट्रार

.....

प्रपत्र सं. सीएचजी.6

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 84(1) और उसके अनुसरण में धारा 384 तथा कंपनी (प्रभारों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]



प्राप्तकर्ता अथवा प्रबंधक की नियुक्ति अथवा समाप्ति संबंधी नोटिस

प्रपत्र की भाषाअंग्रेजीहिंदी

प्रपत्र दाखिल करने के लिए निर्देशों का संदर्भ लें

1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा कंपनी की विदेशी की पंजीकरण संख्या
(एफसीआरएन).....(पूर्व पूरित)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थल का पता

.....

.....

3. (क) यह आदेश दाखिल किया जा रहा है * प्राप्तकर्ता अथवा प्रबंधक को नियुक्ति देने वाले व्यक्ति द्वारा* प्राप्तकर्ता अथवा प्रबंधक के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा

(ख) *आदेश का प्रकार * नियुक्ति * हटाना

4. प्राप्तकर्ता अथवा प्रबंधन के ब्यौरे

(क) *आयकर स्थायी खाता संख्या

(पैन).....

(ख) *नाम.....

(ग) *पता पंक्ति 1.....

पंक्ति 2.....

(घ) *शहर.....

(ङ) *राज्य.....

(च) *देश.....

(छ) *पिन कोड.....

5.* नियुक्ति की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

6.* हटाने की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

7.* क्या नियुक्ति अथवा कार्यमुक्ति है *न्यायालय के आदेश के अनुसरण में * किसी दस्तावेज के अनुसरण में

8. (क) प्रभारों की संख्या.....

(ख) न्यायालय के आदेश के अनुसरण में

न्यायालय का संदर्भ	न्यायालय के आदेश की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	प्रभार आईडी	कंपनी की पूर्ण संपत्ति से संबंधित नियुक्ति	कंपनी की पूर्ण संपत्ति से आय वृद्धि से संबंधित नियुक्ति
			* हां * नहीं	* हां * नहीं

(ग) किसी दस्तावेज के अनुसरण में

दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	प्रभार आईडी	कंपनी की पूर्ण संपत्ति से संबंधित नियुक्ति	कंपनी की पूर्ण संपत्ति से आय वृद्धि से संबंधित नियुक्ति
			* हां * नहीं	* हां * नहीं

अनुलग्नक:

- (1) * प्राप्तकर्ता/प्रबंधक की नियुक्ति के दस्तावेज की प्रति; **(संलग्न करें)**
- (2) *न्यायालय के आदेश की प्रति **(संलग्न करें)**
- (3) अगर नियुक्ति कंपनी के विशिष्ट संपत्ति से संबंधित है तो कंपनी की संपत्ति की सूची; **(संलग्न करें)**
- (4) अगर नियुक्ति कंपनी की विशिष्ट संपत्ति से बढ़ती हुई आम से संबंधित है तो; **(संलग्न करें)**
- (5) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई है तो

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त उल्लेखित सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपत्र में संलग्नों सहित कोई भी सूचना पाई नहीं गई है। मैं इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हूँ।

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं **डीएससी बॉक्स**
प्राप्तकर्ता या प्रबंधक को नियुक्त करने वाला व्यक्ति

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं **डीएससी बॉक्स**
प्राप्तकर्ता या प्रबंधक
पैन.....

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं **डीएससी बॉक्स**

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, 448 और 449 के प्रावधानों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमशः धोखाधड़ी के लिए सजा, गलत विवरण के लिए सजा और गलत साक्ष्यों के लिए सजा का प्रावधान है।

संशोधित फार्म चैक करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत
.....
सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए:.....(दायर करने संबंधी विवरण संबद्ध करें)

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन).....ई-फॉर्म जमा करने की तारीख
.....(दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

एतद्वारा यह ई-प्रपत्र पंजीकृत है.....

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

प्रपत्र संख्या सीएचजी-7
प्रभारों का रजिस्टर
[धारा 85 के अनुरण में]

क्र. सं.	प्रभार आईडी	प्रभार सृजन की तारीख या प्रभार योग्य संपत्ति के अधिग्रहण की तारीख	प्रभार सृजन के पंजीकरण की तारीख	प्रभारित संपत्ति का संक्षिप्त विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रभार द्वारा सुरक्षित अवधि या राशि	प्रभारियों के नाम और पते	प्रभार की शर्तों व नियमों के ब्यौरे	प्रभार के विलेक सृजन का विवरण तारीख
(6)	(7)	(8)	(9)

प्रभार के संशोधन की तारीख	प्रभार संशोधन के पंजीकरण की तारीख	प्रभार का संशोधन करने वाले विलेख का विवरण	संशोधन के ब्यौरे
(10)	(11)	(12)	(13)

अदागी की तारीख	अदागी पंजीकरण की तारीख	देरी माफ करने के तथ्य और तारीख अगर कोई हो तो	प्रभार के सृजन, संशोधन या अदागी के पंजीकरण के लिए दायर करने में हुई देरी के कारण अगर कोई हो तो
(14)	(15)	(16)	(17)

<p>प्रपत्र सं. सीएचजी.8 [धारा 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77(1) तथा कंपनी (प्रभारों का पंजीकरण नियम, 2014 के नियम 4 व 12 के अनुरण में)]</p>	 सत्यमेव जयते	<p>प्रभार सृजन/ संशोधन/ अदागी के पंजीकरण के लिए दायर करने की समय को बढ़ाने अथवा प्रभार सृजन/ संशोधन अदागी के संबंध में किसी प्रकार की मूल या अशुद्ध बयान के परिशोधन हेतु केन्द्र सरकार को आवेदन</p>
---	---	---

प्रपत्र की भाषाअंग्रेजीहिंदी

प्रपत्र दाखिल करने के लिए निर्देशों का संदर्भ लें

1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा कंपनी की विदेशी की पंजीकरण संख्या (एफसीआरएन).....(पूर्व पूरित)

(ख) *कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता

.....

(ग) कंपनी का ई-मेल पता.....

3. *यह प्रपत्र माफी के लिए है:

* पंजीकरण में देरी

* प्रभार सृजन

* प्रभार संशोधन

* प्रभार अदागी

* निम्नलिखित से संबंधित कोई चूक अथवा अशुद्ध

* प्रभार सृजन

* प्रभार संशोधन

* प्रभार अदागी

4. * आवेदन किया गया है * कंपनी द्वारा *अन्य किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा

5.*उपर्युक्त प्रपत्र का एसआरएन *सीएचजी प्रपत्र 1* सीएसपी प्रपत्र 4* सीएचपी प्रपत्र.....

6. प्रभार पहचान संख्या

7. (क)* उपर्युक्त प्रपत्र में प्रविष्ट प्रभार सृजन/संशोधन/अदागी की तारीख.....

(ख)* प्रभार सृजित/ संशोधित/अदागी का राशि.....

(ग)* प्रभारी/प्रभारियों के नाम.....

(घ)* प्रभारित संपत्ति या परिसंपत्ति (परिसंपत्तियोंके ब्यौरे (संपत्ति के पूर्ण पत्ते के स्थान सहित

8.*दायर करने में देरी/चूक/अशुद्ध बयान के कारण

.....

9.* चूक/गलत बयान और अपेक्षित राहत केव विवरण

.....

.....

संलग्नक:

(संलग्नकों की सूची)

1. *प्रभार सृजन/ संशोधन/अदागी वाले दस्तावेज (संलग्न करें)

2. प्राधिकृति का पत्र



(एक विदेशी कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के विषय में) **(संलग्न करें)**

3. आवेदन दायर करने को स्वीकृति देने अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि वाले बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति) अगर कोई हो तो; **(संलग्नक हटाएँ)**

4. शपथ पत्र; **(संलग्न करें)**

5. प्रभारी की स्वीकृति

6. उस वित्तीय वर्ष का तुलनपत्र और वार्षिक विवरणी जिसमें प्रपत्र दायर किया गया और परिशोधन किया गया

(अगर पूर्ण हो तो) **(संलग्न करें)**

7. वैकल्पिक संलग्नक (अगर कोई हो तो) **(संलग्न करें)**

घोषणा (अगर आवेदक कंपनी हो तो)

में.....

..

- दृढतापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं (नीचे जाए: मूल्य निदेशक या प्रबंधक या कंपनी सचिव या सीईओ या सीएफओ या एक प्राधिकृत प्रतिनिधि);
- और मैं आगे यह घोषणा करता हूँ

(1) सृजन/संशोधन/अदागी अथवा चूक या गलत कथन के ब्यौरे भरने में देरी आकस्मिक अथवा लापरवाही के कारण अथवा किसी अन्य उपर्युक्त कारण से हुई है और कंपनी के प्रभारी, हिस्सेदारों और ऋणदाताओं की स्थिति के प्रभाव के कारण नहीं हैं।

(2) अगर देरी, चूक या गलत कथन को माफ किया जाता है तो कंपनी में किसी तरह का पक्षपात प्रभारी/प्रभारियों या अन्य किसी ऋणदाताओं के लिए कारण नहीं बनेगा ।

(3) कंपनी ने कंपनी की परिसंपत्तियों पर वर्तमान प्रभार के सृजन/संशोधन में अभी तक कोई अन्य प्रभार/प्रभारों का सृजन या संशोधन नहीं किया है जिसके लिए देरी माफ करने के लिए आवेदन किया जा रहा है।

(4) यह आवेदन करने की तारीख को कंपनी का व्यवसाय कार्य जारी है और कंपनी को बंद करने की कोई कार्यवाही कंपनी के विरुद्ध प्रारंभ या विचाराधीन नहीं है।

(5) किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है जिसके लिए देरी के लिए क्षमायाचना दायर की जा रही है।

(6) कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार से कंपनी का नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

निदेशक या प्रबंधक या सचिव या सीईओ या सीएफओ (भारतीय कंपनी के मामले में) **(डीएससी बॉक्स)**

अथवा एक प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी के मामले में)

पदनाम.....

निदेशक का डीआईएन; प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता

संख्या.....

घोषणा (अगर आवेदक कंपनी की जगह कोई व्यक्ति हो तो)

मैं घोषणा करता हूँ कि सृजन/संशोधन/अदागी अथवा चूक या गलत कथन के ब्यौरे भरने में देरी आकस्मिक अथवा लापरवाही के कारण अथवा किसी अन्य उपर्युक्त कारण से हुई है और कंपनी के प्रभारी, हिस्सेदारों और ऋणदाताओं की स्थिति के प्रभाव के कारण नहीं है और उपर्युक्त संपूर्ण सूचना और ब्यौरे संक्षिप्त और सही बताए गए हैं।

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं**डीएससी बॉक्स**

प्रभारी द्वारा

पैन.....

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं**डीएससी बॉक्स**

एआरसी और हस्तांतरिति

पैन.....

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं**डीएससी बॉक्स**

पदनाम.....

पैन.....

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, 448 और 449 के प्रावधानों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश धोखाधड़ी के लिए सजा, गलत विवरण के लिए सजा और गलत साक्ष्यों के लिए सजा का प्रावधान है।

संशोधित

फार्म चैक करें

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत

.....
 सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए:(दायर करने संबंधी विवरण संबद्ध करें)


ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन).....ई-फॉर्म जमा करने की तारीख

.....(दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

एतद्वारा यह ई-प्रपत्र पंजीकृत है.....

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

<p>प्रपत्र सं. सीएचजी-9 [धारा 384 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(3), 77, 78 और 79 तथा कंपनी (प्रभारों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>डिबेंचरों के लिए प्रभार सृजन या संशोधन के पंजीकरण अथवा डिबेंचरों के लिए प्रभार सृजन या संशोधन के संबंध में दायर किए गए ब्यौरों के परिशोधन हेतु आवेदन</p>
---	---	---

प्रपत्र की भाषाअंग्रेजीहिंदी

प्रपत्र दाखिल करने के लिए निर्देशों का संदर्भ लें

1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन).....(पूर्व पूरित)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....
2. (क) कंपनी का नाम
- (ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
-
- (ग) कंपनी का ई-मेल पता.....
3. (क) यह आवेदन के लिए है
*प्रभार सृजन *प्रभार संशोधन *प्रभार परिशोधन
- (ख) डिबेंचरों की प्रकार * डिबेंचर * डिबेंचर स्टॉक * बॉन्ड * अन्य कोई दस्तावेज
- (ग) आवेदन की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) जिसके लिए परिशोधन दायर किया जा रहा है.....
- (घ) संशोधन या परिशोधन किए जाने वाले प्रभार की प्रभार आई-डी
.....
- (ङ) आईएनसी 28 आवेदन का एसआरएन.....
- (च) डिबेंचरों के प्रकार
*डिबेंचरों के प्रम से संबंधित ब्यौर *न्यासियों या डिबेंचरधारकों की संख्या
*प्रभारी द्वारा सुरक्षित राशि *श्रृंखला से संबंधित वर्तमान मामले का ब्यौर
*प्रभार के मुख्य नियम व शर्तें, सीमा व कार्य *प्रभारित संपत्ति का विवरण/ब्यौर
*आढत, भते अथवा छूट के ब्यौर *प्रभार की सीमा
4. (क)* आवेदन क्या है *कंपनी *डिबेंचर धारकों या प्रभारियों के न्यासी
(ख) क्या आवेदन भरा रहा है
(i) *सृजन या संशोधन की तारीख के 30 दिन के बाद लेकिन 300 दिन के भीतर *हां *नहीं
(ii) यदि हां, तो देरी के कारण और देरी की अवधि बताएं.....

.....
 (iii) 300 दिन से अधिक *हां *नहीं
 (यदि हां, तो समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने की आवश्यकता होगी)

5. *डिबेंचरधारकों या प्रभारियों के न्यासी/न्यासियों की
 संख्या.....

डिबेंचर धारकों या प्रभार न्यासी के ब्यौरे (अगर प्रभार एआरसी या हस्तांतरिती के पक्ष में संशोधित है तो एआरसी या हस्तांतरिती के ब्यौरे दे)

*नाम.....

अन्य के मामले में, अगर कोई हो

सीआईएन, अगर लागू हो.....(पूर्व पूरित)

*नाम:.....

*पता पंक्ति 1.....

पंक्ति 2.....

*शहर.....

*राज्य.....(आईएसओ कंट्री कोड).....

*देश.....

(छ) *पिन कोड.....

ई-मेल पता.....

6. *प्रभार सृजन की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

7. क्या प्रभार है * डिबेंचरों की पूरी श्रृंखला के लिए * डिबेंचरों की एक श्रृंखला में कोई मामला.....

8. (क) क्या डिबेंचर श्रृंखला कंपनी रजिस्ट्रार में (आरओसी) में पंजीकृत है *हां *नहीं

(ख) यदि हां, (i) संपूर्ण श्रृंखला द्वारा सुरक्षित कुल राशि (रु. में)

(ii) श्रृंखला के पंजीकरण की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

9. (क) *श्रृंखला के वर्तमान मामले की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

(ख)* श्रृंखला के वर्तमान मामले की राशी (प्रभार द्वारा) सुरक्षित राशि (रु. में)

(अगर प्रभार के संशोधन से संबंधित हो, तो इस तरह के संशोधन के बाद प्रभार द्वारा सुरक्षित राशि लिखें)

(ग) प्रभार द्वारा सुरक्षित राशि शब्दों में.....

10. * श्रृंखला के विषय को प्राधिकृत करने वाले प्रस्ताव की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

11. *प्रभारित संपत्ति का यह दर्शाते हुए विवरण दें कि क्या इन पर प्रभारित है

.....अनपेक्षित शेयर पूंजीमांगी गई किंतु प्रदान नहीं की गईअचल परिसंपत्ति अथवा उस पर कोई ब्याज
चल संपत्ति (गिरवी नहीं रखी जाने वाली)चल प्रभारमोटर वाहन (हाइपोतिकेशन)
सुरक्षित जमा राशि प्राप्त करने के लिए कोई संपत्तिसाखपेटेंट
पेटेंट के तहत लाइसेंसट्रेड मार्ककॉपीराइट
ऋण बहीजहाज या जहाज में हिस्सेदारीभारत से बाहर स्थित संपत्ति
अन्य

(ख) अन्य कोई है, तो विवरण

(ग) प्रभारित राशि के ब्यौरे (संपत्ति के स्थान सहित)

12. * प्रभार के मुख्य नियम व शर्तों, (ब्याज दर विमोचर की तारीख और डिबेंचर विमाचन संचय का सृजन सहित सीमा और कार्यप्रणाली का संक्षिप्त ब्यौरा

.....

13. इस विवरण में शामिल किसी डिबेंचर के लिए कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति/किन्ही/ व्यक्तियों उनके द्वारा सब्सक्राइब करने अथवा उसकी सहमति देने, पूर्ण अथवा सशर्त, अथवा सबस्क्रिप्शन खरीदने अथवा खरीदने की सहमति देने, पूर्ण अथवा सशर्त, के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अदा की गई अथवा दी गई दलाली, भत्ते अथवा छूट (यदि कोई हो) को राशि अथवा दर प्रतिशत के ब्यौरे.....

14. (क) *क्या प्रभार एआरसी या हस्तांतरिती के पक्ष में हैं, *हां *नहीं

(ख) क्या डिबेंचर धारकों या प्रभारी के न्यासी प्रभार का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है *हां *नहीं

15 (क)* प्रभार का संशोधन करने वाले दस्तावेजों का विवरण

.....

(ख)* प्रभार का संशोधन करने वाले दस्तावेज की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष.)

16.* वर्तमान संशोधनों के ब्यौरे

(कृपया सुनिश्चित करें कि सही ब्यौरे दिए गए हैं क्योंकि यही प्रभार संशोधन के प्रमाण-पत्र में दर्शाया जाएगा।

.....

संलग्नक

(संलग्नकों की सूची)

1. *डिबेंचर श्रृंखला के मामलों को प्राधिकृत करने वाले प्रस्ताव की प्रति (संलग्न करें)
2. प्रभार सृजन या संशोधन के दस्तावेज (संलग्न करें)
3. प्रभार परिशोधन के लिए केंद्र सरकार का आदेश (संलग्न करें)
4. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो (संलग्न करें)



(संलग्न हटाएं)

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प संख्या.....तारीख.....द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं तथा यह घोषित करता हूं कि इस प्रपत्र या इससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सभी सूचना इस प्रपत्र के संलग्नकों समेत सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपत्र से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है। संलग्न विलेख/विलेखों अथवा दस्तावेज/दस्तावेजों की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थल पर उपलब्ध है।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

- (क) सृजन/संशोधन के ब्यौरें भरने में देरी आकस्मिक अथवा लापरवाही के कारण अथवा किसी अन्य उपर्युक्त कारण से हुई है और कंपनी के प्रभारी, हिस्सेदारों और ऋणदाताओं की स्थिति के प्रभाव के कारण नहीं हैं।
- (ख) अगर देरी को माफ किया जाता है तो कंपनी में किसी तरह का पक्षपात प्रभारी/प्रभारियों या अन्य किसी ऋणदाताओं के लिए कारण नहीं बनेगा
- (ग) कंपनी ने कंपनी की परिसंपत्तियों पर वर्तमान प्रभार के सृजन/संशोधन में अभी तक कोई अन्य प्रभार/प्रभारों का सृजन या संशोधन नहीं किया है जिसके लिए देरी माफ करने के लिए आवेदन किया जा रहा है।
- (घ) यह आवेदन करने की तारीख को कंपनी का व्यवसाय कार्य जारी है और कंपनी को बंद करने की कोई कार्यवाही कंपनी के विरुद्ध प्रारंभ या विचाराधीन नहीं हैं।
- (ङ) किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है जिसके लिए देरी के लिए क्षमायाचना दायर की जा रही है।
- (च) कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार से कंपनी का नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

निदेशक या प्रबंधक या सचिव या सीईओ या सीएफओ (भारतीय कंपनी के मामले में)
अथवा एक प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी के मामले में)

डीएससी बॉक्स

पदनाम.....

निदेशक का डीआईएन; प्रबंधक या सीईओ या सीएओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या.....

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि संलग्न प्रभार विलेख या दस्तावेज मूल की सही प्रति हैं जो प्रभारी या हस्तांतरित के पास उपलब्ध हैं और वहां से ली गई उपर्युक्त सभी सूचनाएं और विवरण संक्षिप्त और सही हैं। मैं/हम इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत हैं।

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

डीएससी बॉक्स

प्रभारी द्वारा

पैन.....

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

डीएससी बॉक्स

एआरसी और हस्तांतरित

पैन.....

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

डीएससी बॉक्स

पदनाम.....

पैन.....

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, 448 और 449 के प्रावधानों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमशः धोखाधड़ी के लिए सजा, गलत विवरण के लिए सजा और गलत साक्ष्यों के लिए सजा का प्रावधान है।

संशोधित

फार्म चैक करें

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत

सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए:

.....(दायर करने संबंधी विवरण संबद्ध करें)

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन).....

ई-फॉर्म जमा करने की तारीख

.....(दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

एतद्वारा यह ई-प्रपत्र पंजीकृत है.....

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

अथवा

यह ई-प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए तथा दायर करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण की सत्यता के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा फाइल में रख दिया गया है।

[फा. सं. 01/10/2013 (भाग-I) सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R. 248(E).— In exercise of the powers conferred under Sections 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87 read with Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other relevant rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (**Registration of Charges**) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) "Annexure" means the Annexure appended to these rules;
- (c) "Fees" means the fees as specified in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014;
- (d) "Form" or "eforms" means form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;
- (e) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;
- (f) "section" means the section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and said rules.

3. Registration of creation or modification of charge. (1) For registration of charge as provided in sub-section (1) of Section 77, Section 78 and Section 79, the particulars of the charge together with a copy of the instrument, if any, creating or modifying the charge in **Form No.CHG-1** (for other than Debentures) or **Form No.CHG-9** (for debentures), as the case may be, duly signed by the company and the charge holder and filed with the Registrar within a period of thirty days of the date of creation or modification of charge along with the fee.

(2) If the particulars of a charge are not filed within the aforesaid period, but filed within a period of three hundred days of the date of such creation or modification, the additional fee shall be levied.

(3) If the company fails to register the particulars of the charge with the Registrar within the period of thirty days of its creation or modification, the particulars of the charge together with a copy of the instrument, if any, creating or modifying such charge may be filed by the charge-holder, in **Form No.CHG-1** or **Form No.CHG-9**, as the case may be, duly signed along with fee.

(4) A copy of every instrument evidencing any creation or modification of charge and required to be filed with the Registrar in pursuance of Section 77, 78 or 79 shall be verified as follows-

- (a) where the instrument or deed relates solely to the property situated outside India, the copy shall be verified by a certificate issued either under the seal of the company, or under the hand of any director or company secretary of the company or an authorised officer of the charge holder or under the hand of some person other than the company who is interested in the mortgage or charge;
- (b) where the instrument or deed relates, whether wholly or partly, to the property situated in India, the copy shall be verified by a certificate issued under the hand of any director or company secretary of the company or an authorised officer of the charge holder.

4. Condonation of delay by Registrar.-(1) The Registrar may, on being satisfied that the company had sufficient cause for not filing the particulars and instrument of charge, if any, within a period of thirty days of the date of creation of the charge, allow the registration of the same after thirty days but within a period of three hundred days of the date of such creation of charge or modification of charge on payment of additional fee.

(2) The application for delay shall be made in **Form No.CHG-1** and supported by a declaration from the company signed by its secretary or director that such belated filing shall not adversely affect rights of any other intervening creditors of the company.

5. Application of rules in certain matters.- The provisions of rule 4 shall apply, *mutatis mutandis*, to the registration of charge on any property acquired subject to such charge and modification of charge under Section 79 of the Act.

6. Certificate of registration. -(1) Where a charge is registered with the Registrar under sub-section (1) of Section 77 or section 78, he shall issue a certificate of registration of such charge in Form No. **CHG-2**

(2) Where the particulars of modification of charge is registered under section 79, the Registrar shall issue a certificate of modification of charge in Form No. **CHG-3**

(3) The certificate issued by the Registrar under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be conclusive evidence that the requirements of Chapter VI of the Act and the rules made thereunder as to registration of creation or modification of charge, as the case may be, have been complied with.

7. Register of charges to be kept by the Registrar.- (1) The particulars of charges maintained on the Ministry of Corporate Affairs portal (www.mca.gov.in/MCA21) shall be deemed to be the register of charges for the purposes of Section 81 of the Act.

(2) The register shall be open to inspection by any person on payment of fee.

8. Satisfaction of charge.- (1) A company shall within a period of thirty days from the date of the payment or satisfaction in full of any charge registered under Chapter VI, give intimation of the same to the Registrar in Form No. **CHG-4** along with the fee.

(2) Where the Registrar enters a memorandum of satisfaction of charge in full in pursuance of Section 82 or 83, he shall issue a certificate of registration of satisfaction of charge in Form No. **CHG-5**.

9. Intimation of appointment of Receiver or Manager.- The notice of appointment or cessation of a receiver of, or of a person to manage, the property, subject to charge, of a company shall be filed with the Registrar in Form No. **CHG.6** along with fee.

10. Company's register of charges.- (1) Every company shall keep at its registered office a register of charges in Form No. **CHG.7** and enter therein particulars of all the charges registered with the Registrar on any of the property, assets or undertaking of the company and the particulars of any property acquired subject to a charge as well as particulars of any modification of a charge and satisfaction of charge.

(2) The entries in the register of charges maintained by the company shall be made forthwith after the creation, modification or satisfaction of charge, as the case may be.

(3) Entries in the register shall be authenticated by a director or the secretary of the company or any other person authorised by the Board for the purpose.

(4) The register of charges shall be preserved permanently and the instrument creating a charge or modification thereon shall be preserved for a period of eight years from the date of satisfaction of charge by the company.

11. Register open for inspection.- The register of charges and the instrument of charges kept by the company shall be open for inspection-

(a) by any member or creditor of the company without fees;

(b) by any other person on payment of fee.

12. Condonation of delay and rectification of register of charges.- (1) Where the instrument creating or modifying a charge is not filed within a period of three hundred days from the date of its creation (including acquisition of a property subject to a charge) or modification and where the satisfaction of the charge is not filed within thirty days from the date on which such payment of satisfaction, the Registrar shall not register the same unless the delay is condoned by the Central Government.

(2) The application for condonation of delay and for such other matters covered in sub-clause (a),(b) and (c) of clause (i) of sub-section (1) of Section 87 of the Act shall be filed with the Central Government in Form No. **CHG-8** along with the fee.

(3) The order passed by the Central Government under sub-section (1) of section 87 of the Act shall be required to be filed with the Registrar in **Form No. INC.28** along with the fee as per the conditions stipulated in the said order.

FORM NO. CHG.1

[Pursuant to sections 77,78 and 79 and pursuant to Section 384 read with 77,78 and 79 of the Companies Act, 2013 and Rule 3 (1) of the Companies (Registration of Charges) Rules 2014]



Form for registration of creation, modification of charge (other than those related to debentures) including particulars of modification of charge by Asset Reconstruction Company in terms of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 (SARFAESI)

Form Language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) *Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company Pre-fill
 (b) Global Location Number (GLN) of company
2. (a) Name of the company
 (b) Address of the registered office or principal place of business in India of the company

 (c) email id of the company
3. (a) *This form is for registration of
 Creation of charge Modification of charge
 (b) Charge ID of the charge to be modified.
 (c) SRN of form INC.28
4. *Whether the applicant is The company The charge holder
5. Whether the form is being filed
 (i) *Beyond 30 days but within 300 days from the date of creation or modification Yes No
 (ii) If yes, give reasons for the delay and mention the duration of delay

 (iii) Beyond 300 days Yes No
 (if yes, an application will be required to be made to Central Government for extension of further time)
6. (a) Whether charge is modified in favour of asset reconstruction company (ARC) or assignee
 Yes No
 (b) Whether charge holder is authorised to assign the charge as per the charge agreement Yes No
7. (a) *Date of the instrument creating or modifying the charge
 (b) *Nature, description and brief particulars of the instrument(s) creating or modifying the charge

 (c) *Whether charge is created or modified outside India Yes No
8. Type of charge
 *(a) A charge on
- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Uncalled share capital | <input type="checkbox"/> Calls made but not paid | <input type="checkbox"/> Immovable property or any interest therein |
| <input type="checkbox"/> Movable property (not being pledge) | <input type="checkbox"/> Floating charge | <input type="checkbox"/> Motor Vehicle (Hypothecation) |
| <input type="checkbox"/> Any property for securing the issue of secured deposits | <input type="checkbox"/> Goodwill | <input type="checkbox"/> Patent |
| <input type="checkbox"/> Licence under a patent | <input type="checkbox"/> Trade mark | <input type="checkbox"/> Copyright |
| <input type="checkbox"/> Book debts | <input type="checkbox"/> Ship or any share in a | <input type="checkbox"/> Solely of Property situated |

Others

ship

outside India

(b) If others, specify

9. (a) *Whether consortium finance is involved Yes No

If Yes, enter Lead Banker's name

(b) *Whether joint charge is involved Yes No

(c) *Number of charge holder(s)

(Note: If more than one charge holder involved then attach the names of charge holders, details of extent to the charge, particulars of property charged, amount secured)

10. Particulars of the charge holder (in case charge is modified in favour of ARC or assignee, enter the particulars of ARC or assignee)

Category

If others, specify

Get List of Charge holders

Name

In case of others, specify

CIN, if applicable

Pre-fill

*Name

Address *Line I

Line II

*City

*State

*ISO country code

Country

*Pin code

*e-mail id

11. (a) *Amount secured by the charge (in Rs.)

(In case the amount is in foreign currency, rupee equivalent to be stated)

(In case of modification of charge, enter the amount secured by the charge after such modification)

(b) Amount secured by the charge in words

(c) In case amount secured by the charge is in foreign currency, mention details

12. Brief particulars of the principal terms and conditions and extent and operation of the charge

(a) *Rate of interest

(b) *Terms of repayment

(c) *Margin

(d) *Extent and operation of the charge

(e) Others

--

13. In case of acquisition of property, subjected to charge, furnish the details relating to the existing charge on the property so acquired

(a) Date of instrument creating or evidencing the charge

--

(b) Description of the instrument creating or evidencing the charge

--

(c) Date of acquisition of the property

--

(d) Amount of the charge (in Rs.)

--

(e) Particulars of the property charged

--

14. *Short particulars of the property or asset(s) charged (including complete address and location of the property)

(i)

--

(ii)

--

(iii)

--

(iv)

--

(v)

--

(vi)

--

(vii)

--

(viii)

--

(ix)

--

(x)

--

15. (a) *Whether any of the property or interest therein under reference is not registered in the name of the company Yes No

(b) If yes, name of the person in whose name it is registered

--

16. Date of creation/last modification prior to the present modification

17. Particulars of the present modification (please ensure that the correct particulars are entered as the same shall be displayed in the certificate of modification of charge)

Attachments

- (1) *Instrument(s) of creation or modification of charge;
- (2) Instrument(s) evidencing creation or modification of charge in case of acquisition of property which is already subject to charge together with the instrument evidencing such acquisitions;
- (3) Particulars of all joint charge holders;
- (4) Optional attachments, if any

Declaration

- I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number * *dated to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete and as per the attached charge instrument(s) or document(s) and nothing material has been suppressed. A copy of the attached charge instrument(s) or document(s) is/ are available at the registered office or principal place of business in India of the company.
- I further declare that:
- (a) the delay in filing the particulars of creation/modification, was accidental or due to inadvertence or some other sufficient cause and are or is not of a nature to prejudice the position of the charge holder, shareholders or creditors of the company;
 - (b) no prejudice would be caused to the charge holder(s) or any other creditor(s) of the company, if the delay is condoned;
 - (c) the company has not created or modified any other charge(s) whatsoever on the assets of the company, since the creation / modification of the present charge, for which the application for condonation of delay is being filed;
 - (d) the company is carrying on the business as on the date of filing this application and no proceedings to wind-up the company have commenced or are pending against the company;
 - (e) there is no litigation proceedings pending before any court of law for which condonation of delay is being filed;
 - (f) the company has not applied for striking off the name of the company from the register of Registrar of Companies

To be digitally signed by

Director or manager or secretary or CEO or CFO (In case of an Indian company)
or an authorised representative (In case of a foreign company)

DSC Box

Designation

DIN of the director; DIN or PAN of the manager or CEO or CFO or
authorised representative; or membership number of company secretary

Declaration

I/we confirm that the attached charge instrument(s) or document(s) is/are true copies of the original which is/are available with the charge holder and/or assignee and all the information and particulars mentioned above are derived there from are concisely and correctly stated. I/we am/are duly authorised to sign this form.

To be digitally signed by

DSC Box

Charge Holder

PAN of the charge holder

To be digitally signed by

DSC Box

ARC or assignee
PAN of the ARC or assignee

To be digitally signed by DSC Box

Designation

PAN

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered

Date of signing (DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

Form No. CHG-2

Certificate of registration of charge

[Pursuant to sections 77(1) and 78 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1) of 6 of the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014]

Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number of the company (FCRN) of the company:

GLN:

Name of the company:

Charge Identification No.:

This is to certify that pursuant to the provisions contained in Chapter VI of the Companies Act, 2013, the above mentioned charge dated the ____ day of _____two thousand _____, created by the above named company/, on behalf of the company in favour of _____ to secure the amount of _____ rupees has been registered and assigned a Charge Identification Number as mentioned above in the Register of Charges, in accordance with the provisions contained in that behalf in Chapter VI of the said Act.

Given under my hand and seal, at(place), this _____ day of _____two thousand _____.

Registrar of Companies
.....

Form No. CHG-3

Certificate of registration of modification of charge [Pursuant to section 79(b) of the Companies Act 2013 and sub-rule (2) of rule 6 of the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014

Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company:

Name of the company:

Charge Identification No.:

This is to certify that pursuant to the provisions contained in Chapter VI of the Companies Act 2013, the above charge dated the..... Day of 20... created in favour ofto secure the amount of Rs._____ has been modified in the following manner:

Brief particulars of the modification: (as appearing in Form No. 6.1 filed for modification of charge)

and the above modification has been registered and assigned a Charge Identification Number as mentioned above in the Register of Charges, in accordance with the provisions contained in that behalf in Chapter VI of the said Act.

Given under my hand at(place), this _____ day of _____ two thousand _____.

Registrar of Companies

.....

FORM NO. CHG.4

[Pursuant to section 82(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 8(1) of the Companies (Registration of charges) Rules 2014]



सत्यमेव जयते

Particulars for satisfaction of charge thereof

Form Language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form

1. (a) *Corporate identity number (CIN) or
foreign company registration number (FCRN) of the company

(b) Global location number (GLN) of company

2. (a) Name of the company

(b) Address of the registered office or principal place of business in India of the company

(c) email ID of the company

3. *This form is for registration of Satisfaction of charge

4. (a) (i) *Whether the form is being filed beyond 30 days Yes No

If yes, give reasons for the delay and mention the duration of delay

(ii) *Whether the applicant is Company Charge holder

(b) *SRN of Form CHG.4 filed for satisfaction of charge

(c) *SRN of Form INC.28

5. *Whether charge is satisfied in favour of asset reconstruction company (ARC) or assignee Yes No

*Charge creation identification (ID) number

6. (a) Particulars of the charge holder or ARC or assignee

* Name of chargeholder

In case of others,

CIN, if applicable

Name

Address

* e-mail ID

(b) Particulars of creation of original charge and subsequent modifications

(i) Charge creation date (DD/MM/YYYY)

(ii) Charge last modified date (DD/MM/YYYY)

(iii) *Final amount secured
(In case the amount is in foreign currency, rupee equivalent to be stated) (in Rs.)

(iv) Amount secured by the charge in words

(v) In case amount secured by the charge is in foreign currency, mention details

7. *Date of Satisfaction of charge in full

Attachments

1. *Letter of the charge holder stating that the amount has been satisfied;
2. Order of the Central Government;
3. Optional attachment(s)

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no. dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete and as per the attached

charge instrument(s) or document(s) and nothing material has been suppressed.

I further declare that:

1. the delay in filing the particulars of satisfaction, was accidental or due to inadvertence or some other sufficient cause and are or is not of a nature to prejudice the position of the charge holder, shareholders or creditors of the company;
2. no prejudice would be caused to the charge holder(s) or any other creditor(s) of the company, if the delay is condoned;
3. the company has not created or modified any other charge(s) whatsoever on the assets of the company, since the satisfaction of the present charge, for which the application for condonation of delay is being filed;
4. the company is carrying on the business as on the date of filing this application and no proceedings to wind-up the company have commenced or are pending against the company;
5. there is no litigation proceedings pending before any court of law for which condonation of delay is being filed;
6. the company has not applied for striking off the name of the company from the register of Registrar of Companies

To be digitally signed by

DSC Box

Director or manager or company secretary or CEO or CFO (in case of an Indian company)
or an authorised representative(in case of a foreign company)

Designation

DIN of the director;or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO or authorised
representative; or Membership numberof the company secretary

Declaration

I/we confirm that the attached charge instrument(s) or document(s) is/are true copies of the original which is/are available with the charge holder and/or assignee and all the information and particulars mentioned above are derived there from are concisely and correctly stated I/we am/are duly authorised to sign this form.

To be digitally signed by

DSC Box

Charge Holder (financial institution or bank or debenture holder etc.)

PAN

Email ID

To be digitally signed by

ARC or assignee

DSC Box

PAN

Email ID

To be digitally signed by

DSC Box

PAN

Designation

Email ID

Note:Attention is also drawn to provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

<input type="button" value="Modify"/>	<input type="button" value="Check Form"/>	<input type="button" value="Prescrutiny"/>	<input type="button" value="Submit"/>
<hr/>			
For office use only:		<input type="button" value="Affix filing details"/>	
eForm Service request number (SRN)	<input type="text"/>	eForm filing date	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
Digital signature of the authorising officer			
This e-Form is hereby registered	<input type="text"/>	<input type="button" value="Confirm submission"/>	
Date of signing	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY)	
OR			
This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company			

Form No. CHG-5

Memorandum of satisfaction of charge

Section 82/83 of the Companies Act 2013 and sub-rule (2) of rule 8 of the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014

1 (a) Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company:
 (b) GLN

2 (a) Name of the company:

(b) Charge Identification Number:

This is to certify that pursuant to the provisions contained in Chapter VI of the Companies Act 2013, the above charge for Rs. _____ only has been satisfied in full on day of two thousand in accordance with the provisions contained in that behalf in Chapter VI of the said Act.

Given under my hand and seal at _____(place), this _____ day of _____ two thousand _____.

Registrar of Companies

FORM NO. CHG.6

[Pursuant to section 84(1) and pursuant to Section 384 of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies(Registration of charges) Rules 2014]



Notice of appointment or cessation of receiver or manager

Form Language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1(a). *Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number of the company

(b). Global location number (GLN) of company

2(a). Name of the company

(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company

3. (a) *This notice is being filed by Person appointing receiver or manager Person appointed as receiver or manager
(b) *Type of Notice Appointment Cessation

4. Particulars of receiver or manager

(a). *Income-tax permanent account number (PAN)	<input type="text"/>
(b). *Name	<input type="text"/>
(c). *Address	Line I <input type="text"/> Line II <input type="text"/>
(d). *City	<input type="text"/>
(e). *State	<input type="text"/> ▼
(f). *Country	<input type="text"/>
(g). *Pin code	<input type="text"/>

5. *Date of appointment (DD/MM/YYYY)

6. *Date of Cessation (DD/MM/YYYY)

7. * Whether the appointment or cessation is Pursuance to an order of court Pursuance to any instrument

8. (a) Number of charges

(b) Pursuance to an order of court

Court reference	Date of Court order (DD/MM/YYYY)	Charge ID	Appointment relating to whole of the property of the company	Appointment relating to income arising from whole of the property of the company
			<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

(c) Pursuance to any instrument

Description of instrument	Date of instrument (DD/MM/YYYY)	Charge ID	Appointment relating to whole of the property of the company	Appointment relating to income arising from whole of the property of the company
			O Yes O No	O Yes O No

Attachments

- *Copy of instrument appointing receiver/ manager;
- *Copy of court order;
- List of specified property of the company in case the appointment relates to specified property of the company;
- List of specified property of the company in case the appointment relates to income arising from specified property of the company;
- Optional attachment(s), if any

Attachment

Attachment

Attachment

Attachment

Attachment

Declaration

I declare that whatever stated above is true correct and complete and nothing material has been suppressed including the attachments to this form.I am duly authorised to sign this form.

To be digitally signed by DSC Box

Person appointing receiver or manager

PAN

To be digitally signed by DSC Box

Receiver or manager

PAN

Note:Attention is also drawn to provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively

Modify
Check Form
Prescrutiny
Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

Confirm submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

Form No. CHG-7**Register of charges***[Pursuant to section 85 sub-rule (1) of rule 10 of the Companies (Registration of Charges) Rules, 2014]*

S.No	Charge ID	Date of creation of charge or date of acquisition of property subject to charge	Date of registration of creation of charge	Short description of the property charged
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Period and amount secured by the charge	Names and addresses of the charge holder	Particulars of the terms and conditions of the charge	Description of the instrument creating the charge	
(6)	(7)	(8)	(9)	

Date of modification of charge	Date of registration of modification of charge	Description of the instrument modifying the charge	Particulars of modification
(10)	(11)	(12)	(13)

Date of satisfaction	Date of registration of satisfaction	Facts and date of condonation of delay, if any	Reasons for delay in filing for registration of creation, modification or satisfaction of the charge, if any
(14)	(15)	(16)	(17)

FORM NO. CHG.8

[Pursuant to section 77(1) read with 87 of The Companies Act, 2013 and rule 12(2) of The Companies(Registration of charges) Rules 2014]



Application to Central Government for extension of time for filing particulars of registration of creation / modification / satisfaction of charge OR for rectification of omission or misstatement of any particular in respect of creation/ modification/ satisfaction of charge

Form Language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) *Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company Pre-Fill
(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company
(b) Address of the registered office or principal place of business in India of the company

- (c) e-mail ID of the company

3. *This form is for condonation of

Delay in registration of

- Creation of Charge
- Modification of Charge
- Satisfaction of Charge

Omission or misstatement of any particular in respect of

- Creation of Charge
- Modification of Charge
- Satisfaction of Charge

4. *The application is made by Company Any other interested person

5. *SRN of relevant form Form CHG.1 Form CHG.4 Form CHG.9

6. Charge identification number(ID)

7. (a) *Date of creation/modification/satisfaction of charge entered in the relevant form

- (b) *Amount of charge created/modified/satisfied

- (c) *Name(s) of the charge holder(s)

- (d) *Particulars of the property or asset(s) charged (including complete address and location of the property)

8. *Reasons for delay/omission/misstatement in filing

9. *Details of omission/misstatement and the relief required

Attachment(s) List of attachments

1. *Instrument creating/modifying/satisfying the charge;
2. Letter of authorisation (in case of Authorised Representative of a foreign company);
3. Copy of resolution of the Board authorising the filing of the application and appointing the authorized representative, if any;
4. Affidavit;
5. Confirmation from the Charge-holder;
6. Balance Sheet and Annual Return of financial year in which form was filed for which rectification is done (if completed);
7. Optional attachment, (if any)

Attachment

Attachment

Attachment

Attachment

Attachment

Attachment

Attachment

Remove attachment

Declaration (if applicant is company)

- do solemnly declare that I am the (Drop down: values- director or manager or company secretary or CEO or CFO or an authorised representative);
- and it is further declared that
1. the delay in filing the particulars of creation/modification/satisfaction or omission or misstatement, was accidental or due to inadvertence or some other sufficient cause and are or is not of a nature to prejudice the position of the charge holder, shareholders or creditors of the company;
 2. no prejudice would be caused to the charge holder(s) or any other creditor(s) of the company, if the delay is condoned or omission or misstatement is rectified;
 3. the company has not created or modified any other charge(s) whatsoever on the assets of the company, since the creation / modification of the present charge, for which the application for condonation of delay is being filed;
 4. the company is carrying on the business as on the date of filing this application and no proceedings to wind-up the company have commenced or are pending against the company;
 5. there is no litigation proceedings is pending before any court of law for which condonation of delay is being filed;
 6. the company has not applied for striking off the name of the company from the Register of Registrar of Companies.

To be digitally signed by

Director or manager or company secretary or CEO or CFO (In case of an Indian company) or an authorised representative (In case of a foreign company)

DSC Box

Designation

DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO or authorised representative; or Membership number of the company secretary


Declaration (if applicant is any person other than the company)

I confirm that the delay in filing the particulars of creation/modification/satisfaction or omission or misstatement, was accidental or due to inadvertence or some other sufficient cause and are or is not of a nature to prejudice the position of the charge holder, shareholders or creditors of the company and all the information and particulars mentioned above are concisely and correctly stated.

To be digitally signed by

DSC Box

Charge Holder PAN	<input type="text"/>
To be digitally signed by	DSC Box
ARC or assignee PAN	<input type="text"/>
To be digitally signed by	DSC Box
Designation	<input type="text"/>
PAN	<input type="text"/>
Note: Attention is also drawn to provisions of Section 447, Sections 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively	
<input type="button" value="Modify"/>	<input type="button" value="Check Form"/>
<input type="button" value="Prescrutiny"/>	<input type="button" value="Submit"/>
For office use only :	
eForm Service request number (SRN)	<input type="text"/>
eForm filing date	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
Digital signature of the authorising officer	<input type="text"/>
This e-Form is hereby approved	<input type="text"/>
This e-Form is hereby rejected	<input type="text"/>
Date of signing	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)

<p>FORM NO. CHG.9 [Pursuant to sections 71(3), 77, 78 & 79 and pursuant to Section 384 read with 71(3), 77, 78 and 79 of The Companies Act, 2013 and Rule 3 of The Companies (Registration of charges) Rules, 2014]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>Application for registration of creation or modification of charge for debentures or rectification of particulars filed in respect of creation or modification of charge for debentures</p>
<p>Form Language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form.</p>		
1.(a) *Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pre-fill"/>
(b) Global location number (GLN) of company	<input type="text"/>	
2.(a) Name of the company	<input type="text"/>	
(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company	<input type="text"/>	
(c) e-mail ID of the company	<input type="text"/>	
3. (a) *This form is for	<input type="radio"/> Creation of charge <input type="radio"/> Modification of charge <input type="radio"/> Rectification of charge	
(b) *Type of debentures	<input type="radio"/> Debentures <input type="radio"/> Debenture Stock <input type="radio"/> Bond <input type="radio"/> Any other instrument	
	<input type="text"/>	

(c) SRN of the form for which rectification is being filed

(d) Charge ID of the charge to be modified or rectified

(e) SRN of form INC. 28

(f) Rectification to be made in regard to

- Type of debentures Number of trustees or debenture holders
- Particulars related to series of debentures Particulars related to present issue of series
- Amount secured by charge Description/ Particulars of property charged
- Principal terms and conditions, extent and operation of charge Extent of charge
- Particulars of commissions, allowances or discount

4. (a) *whether applicant is Company Trustee of debenture holders or charge holder

(b) Whether the form is being filed

(i) *Beyond 30 days but within 300 days from the date of creation or modification Yes No

(ii) If yes, give reasons for the delay and mention the duration of delay

(iii) Beyond 300 days Yes No

(if yes, an application will be required to be made to Central Government for extension of further time)

5. * Number of trustee(s) of debentureholders or chargeholder(s)

Particulars of the trustee of debenture holders or charge holder (in case charge is modified in favour of ARC or assignee, enter the particulars of ARC or assignee)

[Get List of Charge holders](#)

Name

In case of others, specify

CIN, if applicable

[Pre-fill](#)

*Name

Address *Line I

Line II

*City

*State *ISO country code

*Country

*Pin code

*e-mail id

6. * Date of creation of charge (DD/MM/YYYY)7. Whether the charge is for Entire series of debentures Any issue in a series of debentures8. (a) Whether the series of debentures are registered with the Registrar of Companies (RoC) Yes No(b) If yes, (i) The total amount secured by the whole series (in Rs.) (ii) Date of registration of series (DD/MM/YYYY)9. (a) *Date of present issue of series (DD/MM/YYYY)(b) *Amount of present issue of series (amount secured by the charge) (in Rs.)

(In case of modification of charge, enter the amount secured by the charge after such modification)

(c) Amount secured by the charge in words

10. * Date of resolution authorising the issue of the series (DD/MM/YYYY)

11.(a) *Description of the property charged indicating whether it is a charge on

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Uncalled share capital | <input type="checkbox"/> Calls made but not paid | <input type="checkbox"/> Immovable property or any interest therein |
| <input type="checkbox"/> Movable property (not being pledge) | <input type="checkbox"/> Floating charge | <input type="checkbox"/> Motor Vehicle (Hypothecation) |
| <input type="checkbox"/> Any property for securing the issue of secured deposits | <input type="checkbox"/> Goodwill | <input type="checkbox"/> Patent |
| <input type="checkbox"/> Licence under a patent | <input type="checkbox"/> Trade mark | <input type="checkbox"/> Copyright |
| <input type="checkbox"/> Book debts | <input type="checkbox"/> Ship or any share in a ship | <input type="checkbox"/> Solely of Property situated outside India |
| <input type="checkbox"/> Others | | |

(b) If others, specify

(c) *Particulars of the property charged (including location of the property)

12. * Brief of the principal terms and conditions, (including rate of interest, date of redemption and creation of debenture redemption reserve) extent and operation of charge

13. * Particulars as to amount or rate percent of the commission, allowances or discount (if any) paid, or made either directly or indirectly by the company to any person(s) in consideration of their subscribing or agreeing to subscribe, whether absolutely or conditionally, or procuring or agreeing to procure subscriptions, whether absolute or conditional, for any of the debentures included in this return.

Modification of charge

- 14.(a) *Whether charge is modified in favour of asset reconstruction company(ARC) or assignee Yes No
 (b) Whether trustee of debenture holders or charge holder is authorised to assign the charge Yes No

- 15.(a) *Description of the instrument modifying the charge

(b) *Date of instrument modifying the charge (DD/MM/YYYY)

16. * Particulars of the present modification

(Please ensure that correct particulars are entered as the same shall be displayed in the certificate of modification of charge)

Attachment(s)

- (5) Copy of resolution authorising the issue of debenture series;
 (6) Instrument(s) of creation or modification of charge;
 (7) Order of the Central Government for rectification of charge;
 (8) Optional attachments, if any

Attachment

Attachment

Attachment

List of attachments

Remove attachment

Declaration

- I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number.* *dated to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete and as per the attached charge instrument(s) or document(s) and nothing material has been suppressed. A copy of the attached charge instrument(s) or document(s) is/ are available at the registered office or principal place of business in India of the company.
- I further declare that:
- (a) the delay in filing the particulars of creation/modification, was accidental or due to inadvertence or some other sufficient cause and are or is not of a nature to prejudice the position of the charge holder, shareholders or creditors of the company;

- (b) no prejudice would be caused to the charge holder(s) or any other creditor(s) of the company, if the delay is condoned;
- (c) the company has not created or modified any other charge(s) whatsoever on the assets of the company, since the creation /modification of the present charge, for which the application for condonation of delay is being filed;
- (d) the company is carrying on the business as on the date of filing this application and no proceedings to wind-up the company have commenced or are pending against the company;
- (e) there is no litigation proceedings pending before any court of law for which condonation of delay is being filed;
- (f) the company has not applied for striking off the name of the company from the register of Registrar of Companies.

To be digitally signed by

Director or manager or secretary or CEO or CFO (In case of an Indian company)
or an authorised representative (In case of a foreign company)

DSC Box

Designation

DIN of the director; DIN or PAN of the manager or CEO or CFO or

Authorised representative; or membership number of company secretary

Declaration

I/we confirm that the attached charge instrument(s) or document(s) is/are true copies of the original which is/are available with the charge holder and/or assignee and all the information and particulars mentioned above are derived there from are concisely and correctly stated. I/we am/are duly authorised to sign this form.

To be digitally signed by**DSC Box**

Trustee of debenture holders or Charge Holder

PAN

To be digitally signed by**DSC Box**

ARC or assignee

PAN

To be digitally signed by**DSC Box**

Designation

PAN

Note : Attention is also drawn to provisions of Section 447, section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for fraud, punishment for false statement and punishment for false evidence respectively

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

[F. No. 01/10/2013 CL-V]
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.